

अत.सं.क. 2485 [16/3/2023]

प्रश्न सं. [क. 2485]

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मन्त्रालय

बल्लभ आसन, भोपाल-462004

परिशिष्ट-अ

क्रमांक / मं: 11131563/2023/आ0प0/एक, भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 2023
प्रति,

सहायक विभागीय अधिकारी,

बल्लभ नूतन, एम0पी0नगर,

जिला भोपाल (म0प0)

विषय: सन्य भिक्षा तगे के कीमीलेयर के मापदण्डों में संशोधन क्रमांक-5 के संबंध में
स्पष्ट निर्देश प्रदान करने बाबत।

संदर्भ: क्रमांक-110/अ.वि.अ./एम पी.नगर/20222-23, भोपाल, दिनांक 18/11/2023

कृपया उपरोक्त विषयवर्तित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 07 फरवरी, 2014 एवं विभागीय
परिपत्र दिनांक 13 अगस्त, 2018 में डिजिटलाइजेशन के संबंध में निर्देश जारी किए गए
हैं।

कृपया उक्त दोनों परिपत्रों में उल्लेखित अनुसार नियमानुसार आवश्यक
कार्यवाही करें।

संतुष्ट - यथोपरि।

(गिरीश शर्मा)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक फरवरी, 2023

832-
19/2/23

पृ0क्रमांक 11131563/2023/आ0प0/एक,

प्रतिलिपि

कलेक्टर, जिला-भोपाल (म0प0) की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रस्तुत।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

अनुमान अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
भोपाल